आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2022–23 की मुख्य विशेषताएं

1–आय

- वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों में रू0 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
- वर्ष 2022–23 में आय–व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू0 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- स्वयं का कर राजस्व रू0 15370.56 करोड़
- करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्राप्तियॉ रू0 63774.55 करोड़ अनुमानित है।

2–व्यय

- वर्ष 2022–23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2022–23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
- इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।
- पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3– राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू0 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटा रू0 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

4–अन्य प्रमुख बिन्दु

- राज्य सरकार द्वारा पोषित **'नंदा गौरा योजना'** के अंतर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- '**मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना**' वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **गौसदनों की स्थापना** हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- 'मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- 'चाय विकास योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- '**मेरी गांव मेरी संड़क**' के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- '**अटल उत्कर्ष विद्यालय**' योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (**CIPET**) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- '**मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण**' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू0 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- '**प्रधानमंत्री फसल योजना**' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

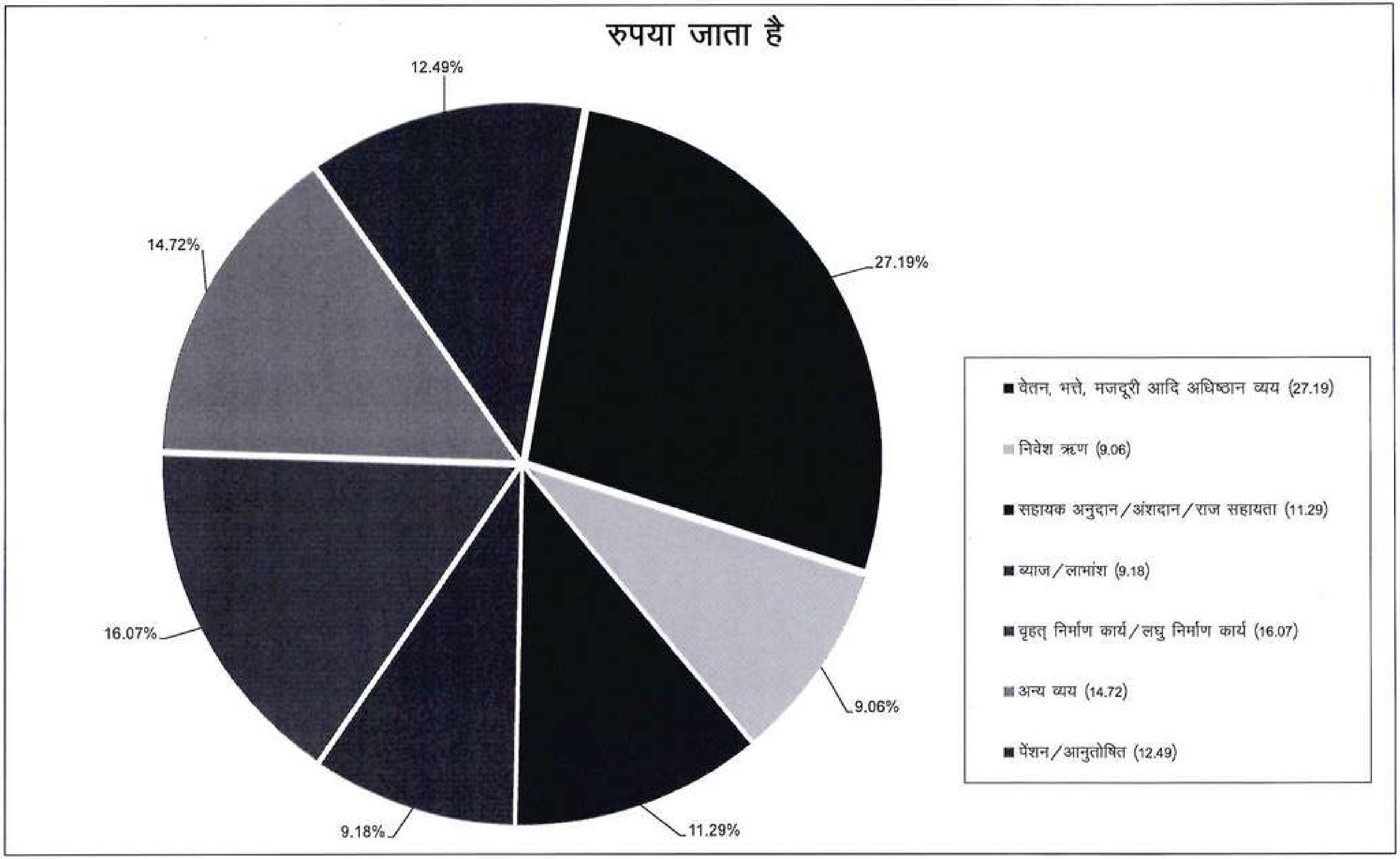

रुपया जाता है
12.49%
27.19%
14.72%
16.07%
9.06%
9.18%
11.29%
वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय (27.19)
निवेश ऋण (9.06)
सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (11.29)
ब्याज/लाभांश (9.18)
वृहत् निर्माण कार्य/लघु निर्माण कार्य (16.07)
अन्य व्यय (14.72)
पेंशन/आनुतोषित (12.49)

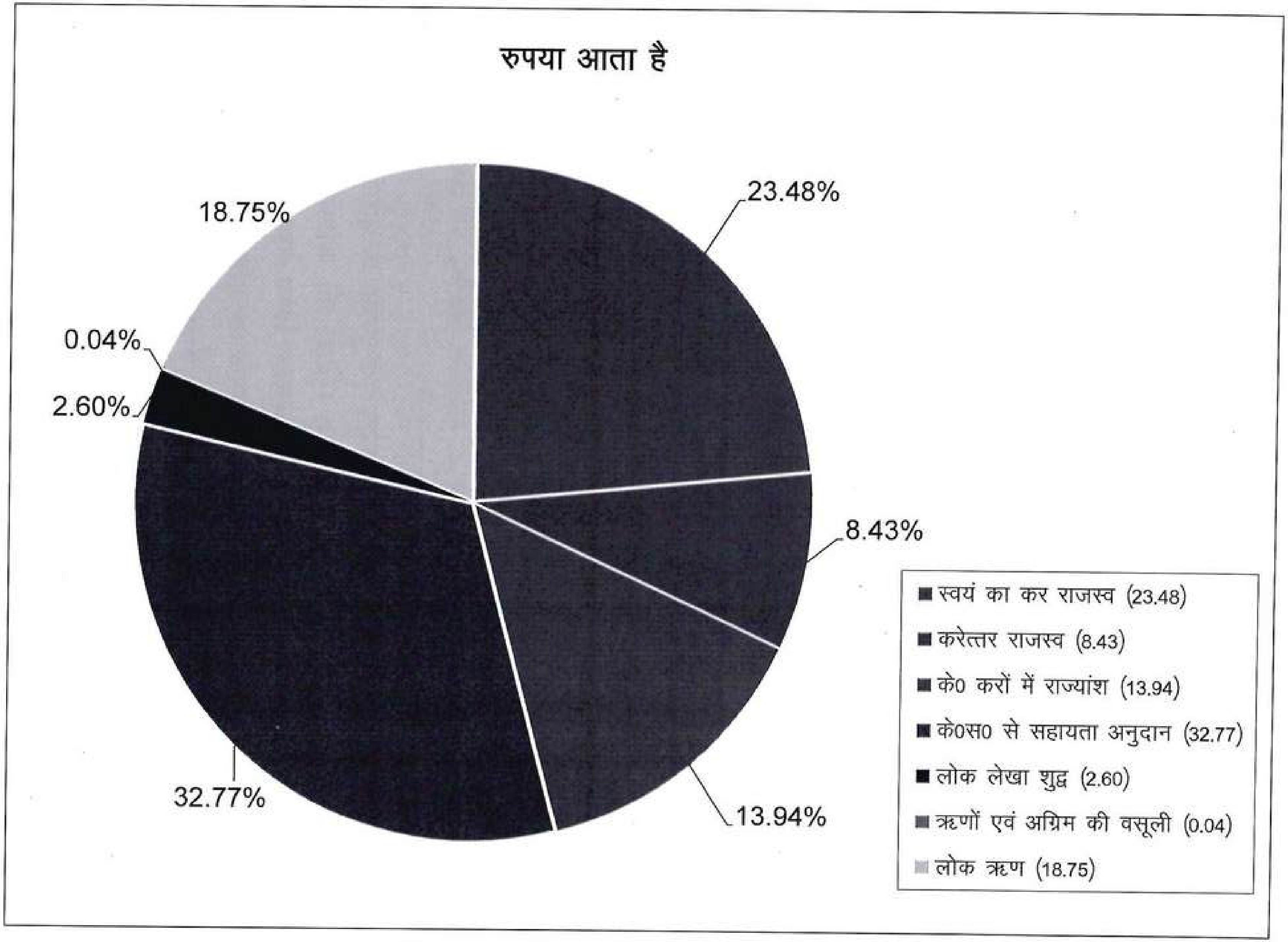
रुपया आता है
23.48%
8.43%
13.94%
32.77%
2.60%
0.04%
18.75%
स्वयं का कर राजस्व (23.48)
करेत्तर राजस्व (8.43)
के0 करों में राज्यांश (13.94)
के0स0 से सहायता अनुदान (32.77)
लोक लेखा शुद्ध (2.60)
ऋणों एवं अग्रिम की वसूली (0.04)
लोक ऋण (18.75)

- उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा **अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना'** हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **'प्रधानमंत्री आवास योजना'** (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **'स्मार्ट सिटी योजना'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना'** हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सभी **पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु** वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को **अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर** वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के घटक 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान'** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना'** हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।